कार्यालय– जिला कार्यक्रम अधिकारी, संत कबीर नगर।

पत्र संख्या– C-1696 / जि0का0अधि0 / बा0वि0परि0 / आ0बा0विज्ञप्ति / 2023–24 दिनांक– 15/03/2024

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या– 19 / 2023 / 3975 / 58–1– 2022–2 / 1 (22) 10 टी.सी. दिनांक 21 मार्च 2023 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद संत कबीर नगर के शहरी / ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजना में आंगनबाडी कार्यकत्री के मानदेय पर आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेब साइट http://upanganwadibharti.in पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों का वार्डवार / परियोजनावार विवरण निम्नवत् है:–

क्र0स0	परियोजना का नाम	ग्रामीण / शहरी	रिक्त आंगनबाडी कार्यकत्री के पदों का विवरण
1	हैंसर बाजार	ग्रामीण / शहरी	40
2	पौली	ग्रामीण	22
3	मेंहदावल	ग्रामीण / शहरी	5
4	नाथनगर	ग्रामीण	8
5	सांथा	ग्रामीण / शहरी	31
6	बेलहरकला	ग्रामीण / शहरी	8
7	सेमरियावां	ग्रामीण	23
8	बघौली	ग्रामीण / शहरी	14
9	खलीलाबाद	ग्रामीण / शहरी	54
	कुल योगः–		205

(नोटः– उपरोक्त तालिका में वर्णित रिक्त पदों की संख्या विभागीय स्थिति के आधार पर घट बढ सकती है।)

उपरोक्त पदों का ग्रामसभा / वार्डवार विवरण एवं आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्ट्रेट, विकास भवन, तहसील एवं विकासखण्ड इत्यादि कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गयी है, साथ ही विभागीय वेबसाइट http://upanganwadibharti.in पर अपलोड है।

विज्ञाप्ति पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देशः–

1. विज्ञापित पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।
2. आंगनबाडी कार्यकत्री के रिक्त पदों हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट एवं उसके समकक्ष होंगी एवं अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जायेगी।
3. आवेदिका को रिक्त पद के वार्ड / ग्रामसभा का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है तथा ग्रामसभा में उक्त श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में संबंधित न्याय पंचायत की स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा।
4. आवेदिका की आयु निर्धारित कट आफ तिथि 01.01.2024 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
5. विज्ञापित पदों हेतु केवल विभागीय वेबसाइट http://upanganwadibharti.in पर ऑनलाइन आवेदन पर फार्म निर्धारित समयावधि के अन्दर ही स्वीकार्य होंगे। ऑफ लाइन आवेदन पत्र किसी भी दशा में मान्य / स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
6. विज्ञापित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 05.04.2024 मध्य रात्रि 12:00 बजे तक होगी।

वरीयता–

- उसी ग्रामसभा / वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों, विधवा महिला / विधिक तलाकशुदा / परित्यकता महिला।
- विधवा महिला / विधिक तलाकशुदा / परित्यकता महिला के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्रामसभा / वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।
- उपरोक्तानुसार अभ्यर्थी न मिलने पर गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाली परिवार की महिलाऐं।

❖ उसी ग्रामसभा में उपरोक्त किसी भी श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर सम्बन्धित न्याय पंचायत में से उपरोक्तानुसार श्रेणीवार चयन किया जायेगा।

आरक्षणः—

- जो पद जिस श्रेणी हेतु आरक्षित है, उसी श्रेणी के आवेदन मान्य होंगे। अनारक्षित श्रेणी के पदों पर किसी भी जाति के आवेदन स्वीकार किये जा सकेंगे।
- आंगनबाडी कार्यकत्रियों की नियुक्ति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, विकलांग एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) हेतु समय समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण से सम्बन्धित शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।

नोटः—

- विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/ सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यृ प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल ही मान्य होंगे।
- तलाकशुदा/ परित्यकता के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश ही मान्य होंगे।
- आय के सम्बन्ध में तहसील द्वारा निर्गत नवीन (विज्ञापन जारी होने की तिथि से 06 माह पूर्व का मान्य नहीं) ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। जिनका आनलाईन सत्यापन सम्भव हो।
- निवास एवं जाति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर निर्गत निवास एवं जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। जिनका आनलाईन सत्यापन सम्भव हो।

उपरोक्त विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन करने की प्रक्रिया सहित विस्तृत प्रपत्र एवं सूचना विभागीय वेबसाइट **http://upanganwadibharti.in** पर उपलब्ध है, साथ ही अधिक जानकारी हेतु विकास खण्ड के बाल विकास परियोजना कार्यालय अथवा विकास भवन में जिला कार्यक्रम अधिकारी (बाल विकास विभाग) कार्यालय, संत कबीर नगर से कार्यालय दिवस में निर्धारित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

(सत्येन्द्र)
जिला कार्यक्रम अधिकारी,
संत कबीर नगर।

पृ0प0सं0— / तद दिनांकित—
प्रतिलिपि—:— निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ0प्र0 लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, संत कबीर नगर।
4. मुख्य विकास अधिकारी, संत कबीर नगर।
5. उपजिलाधिकारी, खलीलाबाद, मेंहदावल एवं घनघटा, संत कबीर नगर।
6. जिला सूचना अधिकारी, संत कबीर नगर को इस आशय से प्रेषित है कि 02 प्रचलित समाचार पत्रों में निशुल्क विज्ञप्ति प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
7. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद् खलीलाबाद, संत कबीर नगर।
8. अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत मगहर, मेंहदावल, बेलहरकलां, बखिरा, हैंसर बाजार एवं धर्मसिंहवा, संत कबीर नगर।
9. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, संत कबीर नगर।
10. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी/प्रभारी, संत कबीर नगर को इस निर्देश के साथ कि रिक्त पदों के विज्ञप्ति की एक प्रति परियोजना कार्यालय पर चस्पा करें।
11. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र, दैनिक जागरण एवं अमर उजाला को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतम दर पर विज्ञापित कराकर बिल 02 प्रतियों में प्रस्तुत करें।
12. कार्यालय प्रति।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
संत कबीर नगर।